सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकेकडीजिलाअजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 174/2014

श्रीमति नाथी देवी पत्नि रामदयाल जाति कीर निवासी जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर

———वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

———प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136

पीठासीन अधिकारीः श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 09.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 **केम्प जूनियां** में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम जूनियां** में खाता संख्या 744–743 के खसरा नम्बर पुराने 912 एवं खसरा नम्बर नये 2176 रकबा 0.36 है.किस्म नहरी प्रथम दर्ज खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी वर्किंग के पुराने नम्बर 912 रकबा 02–03–10 बीघा दर्ज थीं। जिस हेतु स्व.ताराचन्द पुत्र आनन्दीलाल जैन निवासी जूनियां ने एक वाद राजस्व दावा नम्बर 121/1978 का न्यायालय में प्रस्तुत किया था। दिनांक 23.9.1978 को वाद पत्र. डिक्री कियाजाकर वादवर्णित आराजी के पुराने नम्बर 912 व नये 2176 रकबा 0.36 हैक्ट. को ताराचन्द जैन के नाम किये जाने के आदेश किया गया था जो निर्णय व डिक्री आज तक यथावत है। वादग्रस्त आराजी में ताराचन्द पुत्र आनन्दीलाल जैन निवासी जूनियां ने वाद वर्णित आराजी दिनांक 22.12.2004 को जर्ये पंजीबद्व विक्रय पत्र से श्रीमति नाथी देवी पत्नि रामदयाल कीर निवासी जूनियां को विक्रय कर दी व विक्रयशुदा आराजी पर वादिया का कब्जा काश्त में चली आ रही है। वाद वर्णित आराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड नामान्तरकण निर्णय एंव डिक्री पालना में तथा विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मं गलत नाम चला आ रहा है। वाद वर्णित आराजीयात में बतोर खातेदार घोषित नहीं किया गया जिसे खातेदार घोषित किया जावें। वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों ने कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है इसलिये पार्टी नहीं बनाया गया। खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण उसके नाम करने का निवेदन किया है। वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादी का नाम इन्द्राज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी के वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । पत्रावली आज पेश हुई वादी प्रतिवादी की तनकीयात अनुसार वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात उसके वर्ष 2004 में क्रयशुदा आराजी होने से वादिया घोषणा कराने प्रतिवादी को पाबन्द कराने का रिकॉर्ड सुधार का हक रखती है। प्रतिवादी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी में वर्ष 2004 में विक्रेता ताराचन्द ने सम्पूर्ण आराजी बेचान की है। ताराचन्द का हिस्सा 3/6 हिस्सा होने से वाद पर क्या प्रभाव रहेगा।

अतः वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी जवाब पेरोकार सरकार अनुसार **ग्राम जूनियां** में खाता संख्या 744–743 के खसरा नम्बर पुराने 912 एवं खसरा नम्बर नये 2176 रकबा 0.36 है.किस्म नहरी प्रथम दर्ज वादग्रस्त प्रकरण 131/78 निर्णय दिनांक 13.9.1979 डिग्री के आधार पर वादी ने डिग्री का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराये बिना , डिग्री के आधार पर बाद की पत्रावली में उपलब्ध पंजीबद्व बेचान पत्र के अनुसार क्रय किया गया है। जो नियम विरूद्व है। क्योकि डिग्री का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होने के बाद बेचान होना चाहिये था।डिग्री बहुत पुरानी जिसका वर्तमान में अमल दरामद संभव नहीं है। वादी का वाद मियाद बाहर है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।

अतः वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही जवाब पैरोकार सरकार में **ग्राम जूनियां** में खाता संख्या 744–743 के खसरा नम्बर पुराने 912 एवं खसरा नम्बर नये 2176 रकबा 0.36 है.किस्म नहरी प्रथम दर्ज वादग्रस्त प्रकरण 131/78 निर्णय दिनांक 13.9.1979 डिग्री के आधार पर वादी ने डिग्री का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराये बिना , डिग्री के आधार पर बाद की पत्रावली में उपलब्ध पंजीबद्व बेचान पत्र के अनुसार क्रय किया गया है। जो नियम विरूद्व है। क्योकि डिग्री का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होने के बाद बेचान होना चाहिये था। अतः वादी का वाद खारिज योग्य बनता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प जूनिया में मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी